भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *195
उत्तर देने की तारीख : 04.07.2019

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

***195. श्री प्रसून बनर्जीः**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को कितनी मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेधा–सह–साधन और अन्य छात्रवृत्तियां वितरित की गईं; और

(ख) अगले पांच वर्षों के दौरान किस प्रकार ऐसी छात्रवृत्तियों की संख्या को बढ़ाकर 5 करोड़ तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

''अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति'' के संबंध में श्री प्रसून बनर्जी द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 04.07.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *195 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) द्वारा छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं को बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत गत पांच वर्षों में वितरित की गई छात्रवृत्तियों की संख्या निम्नानुसार है:–

छात्रवृत्तियां (लाभार्थियों की संख्या)				
पिछले पांच वर्षों के दौरान	**मैट्रिक–पूर्व**	**मैट्रिकोत्तर**	**मेरिट–सह–साधन**	**बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति**
	2,73,42,859	34,83,889	6,12,718	4,41,002
कुल				**3,18,80,468**

2018–19 के लिए अनंतिम आंकड़े शामिल हैं।

वर्ष 2015 से छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यक्षमता में सुधार करने और दोहरेपन को दूर करते हुए तथा हेरा–फेरी रोकते हुए पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख): यह प्रस्तावित है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियां अगले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों नामतः बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिक्ख समुदायों में उनका प्रचार करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अल्पसंख्यक छात्रों से संबंधित 5 करोड़ लाभार्थियों को संवितरित की जाएं। नवीकृत छात्रवृत्तियों में वृद्धि करने के लिए और विशेषकर मैट्रिक–पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर योजनाओं के अंतर्गत ड्रापआउट दरों को कम करने के लिए और अधिक उपाय किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक बार जो बच्चा इन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है वह अपनी स्कूली शिक्षा या अपनी पसंद के व्यवसाय में प्रशिक्षण पूरा करे।

*****